न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–103/2021 **जी.एस.एम.एस. नं.–2021/211**

बिरमादेवी उम्र–59 वर्ष पत्नी चानणराम जाति मेघवाल निवासी चक–8 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

– प्रार्थीया

बनाम्

1–लालीदेवी पत्नी पूर्णचंद जाति मेघवाल निवासी कच्ची थेड़ी तहसील श्रीकरणपुर जिला–श्रीगंगानगर (राज.)
2–परमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक–3 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
3–उप पंजीयक अधिकारी अनूपगढ़।
4–तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील–

1. श्री साहबराम एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1एवं2 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक–27.02.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–8 एनडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–61/33 का किला नं.–1ता 25 की 24–10 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया की चाची श्रीमति शांतिदेवी बेवा बुधराम जाति मेघवाल निवासी चक–8 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। श्रीमति शांतिदेवी का देहांत हो चुका है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी व चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमति शांतिदेवी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। यह कि यहां यह स्पष्ट करना उचित समझती है कि प्रार्थीया की चाची श्रीमति शांतिदेवी के कोई औलाद नहीं होने के कारण प्रार्थीया अपनी चाची श्रीमति शांतिदेवी के साथ ही रहती थी तथा प्रार्थीया ही श्रीमति शांतिदेवी की सेवा चाकरी सार संभाल करती थी। प्रार्थिया के चाचा श्री बुधराम का भी देहांत हो चुका है। श्री[illegible] ने अपने जीवनकाल में अपनी भतीजी श्रीमती बिरमादेवी यानि [illegible] अपनी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की एक वसीयत दिनांक 19–12–2[illegible] को रोबरू गवाहान अपनी स्वेच्छया, स्वतंत्र इच्छा तथा बिना किसी दबाव के प्रार्थीया के [illegible] तहरीर करवा कर उप पंजीयक अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वसीयत को अपनी स्वेच्छया से तहरीर करना बता कर उक्त वसीयत का पंजीयन करवाया गया। प्रार्थीया अपनी चाची श्रीमती शांतिदेवी के साथ मिल कर उसके जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि की सार संभाल व काश्त इंतजाम आदि करवाया करती थी। इस प्रकार प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि पर श्रीमति शांतिदेवी के जीवनकाल में शांतिदेवी के साथ मिलकर तथा श्रीमती शांतिदेवी के देहांत के बाद वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19–12–2001 के आधार पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। चित्रप्रति वसीयत दिनांक 19.12.2001 संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत श्रीमति शांतिदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में तहरीर कर पंजीकृत करवाई गई है जिसके आधार पर प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान मे मौका पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है तथा मौका पर प्रार्थीया ने फसल बिजांद कर रखी है। अप्रार्थीगण सं.–1वा2 जो कि श्रीमती शांतिदेवी के देहांत से वादग्रस्त कृषि भूमि पर बुरी नजर रखे हुऐ है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की फिराक में रहती है तथा अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 हर समय प्रार्थीया को ऐलानिया धमकींया देती रहती कि हमने श्रीमति शांतिदेवी की तरफ से अपने पक्ष में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रखे तथा हम शीघ्र ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करेगें तथा प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल कर देगें। अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के मन में शुरू से ही बेईमानी थी तथा अपने बेईमानी पूर्वक आशय से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की फिराक में रहती है। जिसके चलते अप्रार्थीगण सं–1 या 2 ने श्रीमति शांतिदेवी के देहांत के बाद अलग–2 अपने–2 नाम से दो फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार कर उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने बाबत अप्रार्थी सं–3 के समक्ष कार्यवाही की। जिस पर अप्रार्थी सं–4 द्वारा अलग–2 दो सार्वजनिक सूचनाएँ दिनांक 5–10–2021 को प्रकाशित करवाई जिस पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं.–4 के समक्ष उनके कार्यालय में दिनांक 8–10–2021 को उपस्थित होकर अलग–2 जबाव प्रस्तुत कर समस्त तथ्यों से अवगत करवाया कि वादग्रस्त कृषि भूमि श्रीमति शांतिदेवी की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसके संबंध में शांतिदेवी के नाम से खातेदारी सनद सं–70509 दिनांक 2–8–1995 को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तथा श्रीमति शांतिदेवी के कोई औलाद नही होने के कारण प्रार्थीया ही श्रीमति शांतिदेवी के साथ निवास करती थी तथा प्रार्थीया ही श्रीमति शांति देवी की सेवा चाकरी, सार समाल किया करती थी। प्रार्थिया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर श्रीमति शांतिदेवी द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में उक्त वसीयत अपनी स्वेच्छया बिना किसी दबाव के तहरीर कर स्वयं उप पंजीयन अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 19–12–2001 को पंजीकृत करवाई गई है तथा अप्रार्थीगण सं–1 या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/वसीयत फर्जी व कूटरचित है क्योंकि श्रीमति शांतिदेवी द्वारा अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पक्ष मे कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है तथा ना ही श्रीमति शांतिदेवी द्वारा कभी भी प्रार्थीगण–1 वा 2 के बारे मे अपने जीवनकाल मे कोई जिक्र किया गया था। चित्र प्रति सूचना/नोटिस य जबाव नोटिस सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 5–10–2021 को अप्रार्थी सं–4 के समक्ष जबाव प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थीया मे अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 से सम्पर्क कर उनके द्वारा फर्जी व कूटरचित वसीयत अपने पक्ष में तैयार करने बाबत ओलमा दिया तथा प्रार्थीया ने बताया कि प्रार्थीया के पक्ष मे श्रीमति शांतिदेवी द्वारा अपने जीवनकाल मे एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 19–12–2001 तहरीर कर पंजीकृत करवाई गई है तथा [illegible] वसीयत के आधार पर कोई कार्यवाही ना करें तो इस पर अप्रार्थीगण सं–1 य[illegible] तैश [illegible] आ गई तथा वह प्रार्थीया को सरेआम धमकाते हुऐ कहने लगी कि हमने तो फर्जी [illegible] वसीयत अलग–2 अपने–2 नाम से तैयार कर ली है तथा [illegible] चित वसीयतों के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही भी आरंभ कर दी है तथा वह शीघ्र ह[illegible] प्रार्थी सं–4 को अपने अनूचित प्रभाव में लेकर फर्जी व कूटरचित वसीयतों के आधार पर इंतकाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा कर प्रार्थीया को दलबल सहित मौका से बेदखल कर देंगे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र रहन, बैय, हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द कर देगें। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को सरेआम ऐलानिया धमकी दी है कि वह शीघ्र ही वादग्रस्त कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: Self Attested

Priyanka

से दर्ज करवा कर वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र रहन, बैय हस्तांतरित कर खुर्द बुर्द कर देंगें तथा प्रार्थीया को मौका से दलबल सहित बेदखल कर देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस अवैध आशय मे कामयाब हो गई तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा की ऐवज मे नही किया जा सकता है इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1व2 की तरफ से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वर्णित कृषि भूमि शांति देवी बेवा बुधराम के नाम से होना एवं उक्त शांति देवी का स्वर्गवास होना स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में शांति देवी पत्नी बुधराम के कोई औलाद नहीं होने का तथ्य स्वीकार है लेकिन शेष मद गलत, मिथ्या, निराधार, मनगढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया, शांति देवी पत्नी बुधराम के साथ नहीं रहती थी और ना ही उक्त शांति देवी की प्रार्थीया सेवा चाकरी, सार–संभाल करती थी, ना ही इसलिए शांति देवी पत्नी बुधराम ने वादग्रस्त कृषि भूमि की प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 19–12–2001 को रोबरू गवाहान स्वेच्छया, स्वतंत्र इच्छा से तहरीर करवा कर उप पंजीयक अनूपगढ़ से पंजीयन करवाई गई। उक्त कथित पंजीकृत वसीयत दिनांक 19–12–2001 एवं ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम के पक्ष में हुई वसीयत दिनांक 29–1–2002 को उक्त शान्ति देवी पत्नी बुधराम ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 24–7–2002 के अपनी राजीखुशी से बिना किसी नशे पते होश हवाश में बरोबरू गवाहान निरस्त करवा दी और वसीयत दिनांक 19–12–2001 निरस्त करवाने की सूचना शांति देवी ने प्रार्थीया को अपने जीवनकाल में दे दी। उक्त वसीयत दिनांक 19–12–2001 उक्त शांति देवी द्वारा निरस्त करवाने का इल्म आरंभ से ही प्रार्थीया बिरमा देवी को है। ना ही कभी प्रार्थीया ने शांति देवी के साथ मिलकर उसके जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि की सार संभाल व काश्त इंतजाम आदि करवाया है और ना ही शांति देवी के देहान्त के उपरांत वसीयत दिनांक 19–12–2001 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 गलत, मिथ्या, निराधार, मनगढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि की कथित वसीयत दिनांक 19–12–2001 को शांति देवी ने अपने जीवनकाल में निरस्त करवा दी थी। ना ही वसीयत दिनांक 19–12–2001 के आधार पर प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त चली आ रही है तथा ना ही वर्तमान में मौका पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त, फसल बीजान्द है। ना ही प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी किसी प्रकार से कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 गलत, मिथ्या, निराधार, मनगढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर बुरी नजर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की नहीं बल्कि प्रार्थीया की है और प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की फिराक में रहती है और प्रार्थीया निरन्तर हम अप्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देती है। हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कोई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं कर रखे बल्कि शांति देवी ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छया होश हवाश में बरोबरू गवाहान के पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक [illegible]02 के द्वारा उक्त वर्णित वसीयत दिनांक 19–12–2001 निरस्त करवा दी है जिससे [illegible] वसीयत दिनांक 19–12–2001 अस्तित्वहीन व प्रभावहीन है। उक्त अस्तित्वहीन व [illegible] वसीयत दिनांक 19–12–2001 के आधार पर प्रार्थीया को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। फोटो प्रति पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 24–7–2002 सलंग्न है असल वरवक्त [illegible]दत पेश की जावेगी। अप्रार्थी सं. 1 व 2 यहां यह भी निवेदन करती हैं कि मृतका शांति देवी पत्नी बुधराम की रिश्ते में अप्रार्थी सं. 1 लाली देवी जेठ की पुत्री यानि भजीजी एवं अप्रार्थी सं. 2 परमेश्वरी देवी जेठ की पुत्रवधू है। उक्त शांति देवी की सेवा चाकरी अप्रार्थी सं. 1 व 2 करती थी जिससे प्रसन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

होकर शांति देवी ने अपने जीवनकाल में अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि चक 8 एनडी का मुरब्बा नं. 03, पत्थर संख्या 61/33 का किला नं. 1 ता 25 का कुल 6.198 हैक्टर खातेदारी रकबा में से किला नं. 1 ता 10 प्रत्येक सालम, किला नं. 11 का 0.114 हैक्टर, किला नं. 12 का 0.114 हैक्टर, किला नं. 13 का 0.114 हैक्टर, किला नं. 14 का 0.114 हैक्टर, किला नं. 15 का 0.113 हैक्टर कुल 3.099 हैक्टर रकबा की वसीयत दिनांक 20/07/2021 को अपनी राजीखुशी बिना नशा पता के स्वस्थचित से स्वेच्छया रोबरू गवाहान के अप्रार्थी संख्या 2 परमेश्वरी देवी के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर दी, फोटो प्रति वसीयत दिनांक 20/7/2021 संलग्न है एवं शांति देवी ने अपनी उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं. 03, पत्थर संख्या 61/33 के किला नं. 11 का 0.139 हैक्टर, किला नं. 12 का 0.139 हैक्टर, किला नं. 13 का 0.139 हैक्टर, किला नं. 14 का 0.139 हैक्टर, किला नं. 15 का 0.140 हैक्टर, किला नं. 16 ता 20 प्रत्येक सालम, किला नं. 21/2 का 0.228 हैक्टर, किला नं. 22/2 का 0.227 हैक्टर, किला नं. 23/2 का 0.228 हैक्टर, किला नं. 24/2 का 0.227 हैक्टर, किला नं. 25/2 का 0.228 हैक्टर कुल 3.099 हैक्टर रकबा खातेदारी की वसीयत दिनांक 20/7/2021 को अपनी राजीखुशी बिना नशा पता के स्वस्थचित से स्वेच्छया रोबरू गवाहान के अप्रार्थी संख्या 1 लाली देवी पत्नी पूर्णचन्द के पक्ष में निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर दी. फोटो प्रति वसीयत दिनांक 20/7/2021 सलंग्न है। हम अप्रार्थीगण के साथ शान्ति देवी रहती थी तथा शान्ति देवी की सेवा चाकरी हम अप्रार्थीगण करती थी और शान्ति देवी के जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि की सार–संभाल व काश्त हम प्रतिवादीगण करती थी इसलिए उक्त कृषि भूमि के संबंधित दस्तावेज चालान, नोटिस, राजस्व कर–सिंचाई कर अदायगी की असल रसीदात, असल भूमि पास बुक, शान्ति देवी के बैंक खाता की पास बुक, आधार कार्ड, बुधराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र हम अप्रार्थीगण पास है जिनकी चित्र प्रतियाँ पेश है। उक्त शान्ति देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित उक्त वर्णित पृथक–पृथक वसीयत दिनांक 20/7/2021 अन्तिम व प्रभावी वसीयत है। कानूनन वसीयतकर्ता द्वारा नयी वसीयत करने पर पूर्ववर्ती वसीयत निरस्त हो जाती है इसी कानूनी प्रावधान अनुसार भी शान्ति देवी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में वादग्रस्त कृषि भूमि उक्त वर्णित पृथक–पृथक वसीयत दिनांक 20/7/2021 निष्पादित करने पर पूर्ववर्ती सभी वसीयतें स्वतः निरस्त/रद्द हो चुकी है। बेईमानी हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में नहीं बल्कि प्रार्थीया के मन में है तथा इसी बेईमानी व बदयान्तिपूर्वक आशय से हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रार्थीया हड़पना चाहती है और वादग्रस्त कृषि भूमि पर बेईमानीपूर्वक कब्जा करना चाहती है। शांति देवी स्वयं ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अलग–अलग वसीयत दिनांक 20/7/2021 स्वेच्छया पूर्ण होश हवाश में स्वस्थचित से बरोबरू गवाहान निष्पादित कर नोटरी पब्लिक के समक्ष पेश कर तस्दीक करवा कर दी है। शांति देवी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 में की गई अलग–अलग वसीयत फर्जी व कूटरचित नहीं है बल्कि सही, विधिवत एवं प्रभावी है तथा शांति देवी का स्वर्गवास होने पर उक्त वसीयतें दिनांक 20/7/2021 प्रभाव में आ चुकी हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा स्वयं शांति देवी द्वारा निष्पादित अलग–अलग वसीयत दिनांक 20/7/2021 के आधार पर नामान्तरण हेतु कार्यवाही अप्रार्थी सं. 4 श्रीम[illegible]लदार (राजस्व एवं भू अ), अनूपगढ़ के समक्ष की गई है जिसमें प्रार्थीया [illegible] 12–2001 प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की जिस पर उक्त वसीयत दिनांक 19–12–20[illegible] के निरस्त होने के सबूत/साक्ष्य के तौर पर वसीयतनामा दिनांक 24–7–2002 की प[illegible] प्रति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष जैरकार नामान्तरण कार्यवाही में प्रार्थीया को यह इल्म हो गया कि उक्त निरस्त वसीयत दिनांक 19–12–2001 के आधार पर प्रार्थीया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं इसके बाद प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में सही व वास्तविक तथ्यों को छुपाकर निराधार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

वेग, Frevlious वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 212 आर. टी. एक्ट पेश कर एकपक्षीय तौर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। प्रार्थीया सद्भावी नहीं है और ना ही न्यायालय में क्लीन हैण्ड से आयी है। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत कभी हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से नहीं मिली, इसलिए प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का कोई ओलमा देने या वसीयत का जिक्र करने अथवा अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा जब प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त ही नहीं है तो प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिनमें लेशमात्र सच्चाई नहीं होती। प्रार्थीया को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वाद हेतुक के अभाव में वाद काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं. 4 के समक्ष नामान्तरण हेतु कार्यवाही करने के रोज से आज तक हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 से कभी प्रार्थीया मिली ही नही तो प्रार्थीया को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। शान्ति देवी द्वारा हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में करवाई गई अलग–अलग वसीयत दिनांक 20/7/2021 वैध, प्रभावी दस्तावेज है और वसीयत के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के अधिकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 में निहित हो चुके हैं और वादग्रस्त कृषि भूमि निरन्तर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त में है व मौका पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की फसल बीजान्द है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हित व अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं है बल्कि अगर प्रार्थीया मिथ्या वाद में अनुतोष प्राप्त करती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी सं. 1 व 2 को होगी। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा करवाने अथवा कोई व्यादेश या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया इसी स्तर पर काबिल खारिज है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार, कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयत दिनांक 19–12–2001 शांति देवी ने अपने जीवनकाल में निरस्त करवा दी थी। ना ही निरस्त वसीयत दिनांक 19–12–2001 से प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। शान्ति देवी द्वारा हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में करवाई गई। अलग–अलग वसीयत दिनांक 20–7–2021 अन्तिम, वैध, प्रभावी दस्तावेज है जिसके आधार पर विधिवत रूप से नामान्तरण अपने पक्ष में करवाने की अप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिकारी हैं। प्रार्थीया वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का वाद व प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट पूर्णतयाः विधिविरुद्ध. Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

हमने दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

1.**प्रथम दृष्टया प्रकरण** :–प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णि[illegible] है कि प्रार्थिया की चाची श्रीमति शांतिदेवी ने अपने जीवनकाल में अपनी भतीजी श्री[illegible] बि[illegible]ी यानि प्रार्थीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी उपरो[illegible] वसीयत दिनांक 19–12–2001 को रोबरू गवाहान अपनी स्वेच्छया, स्वतंत्र इच्छा तथा बिना किसी दबाव के प्रार्थीया के पक्ष तहरीर करवा कर उक्त वसीयत का पंजीयन करवा[illegible]या। प्रार्थीया अपनी चाची श्रीमती शांतिदेवी के साथ मिल कर उसके जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि की सार संभाल व काश्त इंतजाम आदि करवाया करती थी। जबकि अप्रार्थीगण सं.–1व2 ने अपने जवाब में वर्णित किया वसीयत दिनांक 19–12–2001 से प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। शान्ति देवी द्वारा हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में

निस्पादित वसीयत दिनांक 20—7—2021 अन्तिम, वैध, प्रभावी दस्तावेज है जिसके आधार पर विधिवत रूप से नामान्तरण अपने पक्ष में करवाने की अप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिकारी हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर वसीयत दिनांक 19.12.2001 के बाद शांतिदेवी ने दिनांक 29.01.2002 को पंजीकृत दस्तावेज वसीयत के द्वारा वसीयत दिनांक—19.12.2001 निरस्त कर दी थी एवं दिनांक 20.07.2021 को अप्रार्थी सं.—1व2 के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवायी। उक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के मध्यनजर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

2. **सुविधा का संतुलनः**—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी। अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जिनकी पक्ष में अंतिम वसीयत निष्पादित की गई है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested